२७/५/२२ आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश २३ नियम १ CPC पेश करने पर पेशी मे ली गई।

प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA का परित्याग करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु के संबध मे नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रखते हुए प्रार्थना पत्र को प्रत्याहृत करने की स्वतंत्रता प्रदान कर प्रार्थना पत्र को परित्याग करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु के संबध नया प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर